दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 27-08-2025

विषय सूची

» जनगणना में विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों की अलग से गणना की जाएगी: जनजातीय कार्य मंत्रालय
» Sci-Hub प्रतिबंध और एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ONOS) योजना
» व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के परिणाम: शिक्षा, 2025
» भारत को 2032 तक भंडारण में 50 अरब डॉलर के नए निवेश की आवश्यकता: रिपोर्ट
» केंद्र द्वारा कार्बन बाज़ारों को गति देने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण को अंतिम रूप

संक्षिप्त समाचार

» सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए समितियां
» निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र
» प्रोजेक्ट आरोहण
» वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम
» नेशनल वन हेल्थ मिशन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति
» कुट्टियाडी नारियल
» सुदर्शन चक्र मिशन
» छोटे सोने के कणों से पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाना
» ऑपरेशन रेनबो
» आरोग्यपच
» न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म

जनगणना में विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों की अलग से गणना की जाएगी: जनजातीय कार्य मंत्रालय

संदर्भ

- जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) की अलग से गणना की जाए।
  - हालांकि 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजातियों का डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन PVTGs का अलग से डेटा एकत्र नहीं किया गया था।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कौन हैं?

- 1973 में, धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई।
  - 1975 में, केंद्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में चिन्हित किया।
  - 1993 में, 23 और समूहों को इस सूची में जोड़ा गया। बाद में, 2006 में इन समूहों को PVTGs नाम दिया गया।
- PVTGs भारत में जनजातीय समूहों में सबसे अधिक सुभेद्य वर्ग हैं।
  - इन समूहों में आदिम विशेषताएँ, भौगोलिक अलगाव, कम साक्षरता, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन पाया जाता है।
  - इसके अतिरिक्त, ये मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर रहते हैं और कृषि पूर्व स्तर की तकनीक का उपयोग करते हैं।
- 700 से अधिक जनजातीय समुदायों में से 75 जनजातीय समुदायों को PVTGs के रूप में चिन्हित किया गया है, जो 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के केंद्र शासित प्रदेश में निवास करते हैं।
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, PVTG जनसंख्या का अनुमान 45.56 लाख है।
  - मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश PVTG जनसंख्या के मामले में शीर्ष तीन राज्य हैं।

PVTGs को दरपेश चुनौतियाँ

- **हाशियाकरण**: अलगाव, कम जनसंख्या और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण।
- **सेवाओं तक सीमित पहुंच**: स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच बेहद कम।
- **भेदभाव और असुरक्षा**: सामाजिक भेदभाव और विकास परियोजनाओं व प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापन का सामना।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी**: कम राजनीतिक दृश्यता के कारण निर्णय-निर्माण में न्यूनतम भूमिका।

जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बेहतर संसाधन आवंटन**: सरकार को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से चैनलाइज करने में सहायता।
- **लक्षित कल्याण योजनाएँ**: केंद्रित विकास कार्यक्रमों की डिजाइन और क्रियान्वयन में सहायक।
- **बेहतर योजना निर्माण**: दीर्घकालिक विकास रणनीतियों और नीति निर्धारण के लिए डेटा उपलब्ध कराता है।
- **अनुसंधान और शासन को समर्थन**: प्रवास, शहरीकरण, रोजगार और प्रजनन दर जैसी प्रवृतियों केअध्ययन के लिए विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है।

सरकारी पहल

- **PM-JANMAN योजना**: यह योजना 2023 में झारखंड में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 75 PVTGs समुदायों को लाभ पहुंचाना है।

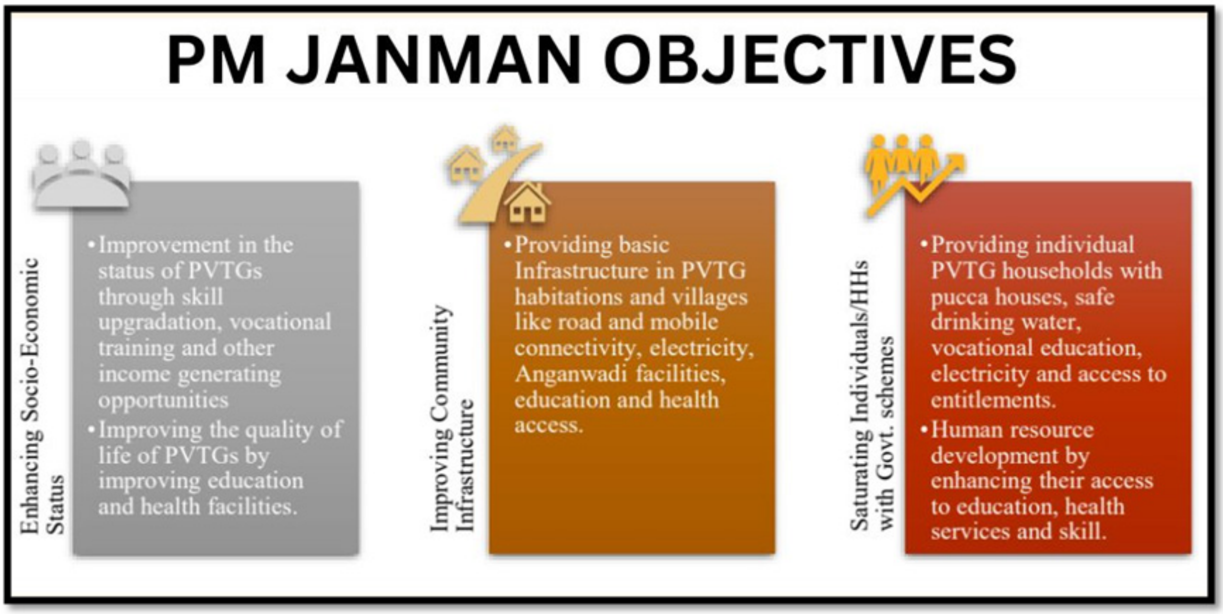

- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) विकास कार्यक्रम**: यह कार्यक्रम सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों को लक्षित करता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्वच्छ जल और विद्युत तक पहुंच सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - लगभग 7 लाख PVTG परिवारों को 200 जिलों में फैले 22,000 बस्तियों में समग्र विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

निष्कर्ष

- PVTGs जनसंख्या का सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। अतः उनकी जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर एक "समेकित डेटाबेस" होना अत्यंत आवश्यक है।
- PVTGs की सटीक गणना लक्षित कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करेगी।

Source: TH

Sci-Hub प्रतिबंध और एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ONOS) योजना

समाचार में

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Sci-Hub, Sci-Net और उनके मिरर डोमेन जैसे तथाकथित ऑनलाइन शैडो लाइब्रेरीज़ तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।

परिचय

- Sci-Hub (2011 में कज़ाखस्तान की अलेक्ज़ेंड्रा एल्बाक्यान द्वारा स्थापित), अवैध होने के बावजूद, उन शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है जिन्हें महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण वैज्ञानिक लेखों तक सुलभ पहुंच नहीं मिल पाती।
- इसी संदर्भ में, सरकार की "वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन" (ONOS) योजना को पायरेसी-आधारित पहुंच के वैध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना

- **प्रारंभ**: 2024 (फेज-I संचालन अवधि: 2023–26)
- **बजट**: ₹6,000 करोड़
- **क्रियान्वयन एजेंसियाँ**:
  - INFLIBNET (UGC निकाय) – डिजिटल पहुंच का प्रबंधन।
  - अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) – उपयोग और प्रकाशनों की निगरानी।
- **कवरेज**
  - **फेज I**: सार्वजनिक विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान।
  - **फेज II**: निजी संस्थान और कॉलेज।

- **दायरा**: 30 प्रकाशकों (ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एल्सेवियर, लैंसेट आदि) से 13,000 जर्नल्स तक पहुंच।
- **उद्देश्य**
  - शोध सामग्री तक सार्वभौमिक, वैध पहुंच सुनिश्चित करना।
  - पायरेसी पर निर्भरता को कम करना।
  - शोधकर्ताओं पर भारी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज (APCs) का वित्तीय भार घटाना।

ONOS के लाभ

- **समान पहुंच**: टियर-1 से टियर-3 संस्थानों तक सभी शोधकर्ताओं को समान संसाधन उपलब्ध।
- **शोध गुणवत्ता में सुधार**: उच्च प्रभाव वाले जर्नल्स में प्रकाशन सुनिश्चित।
- **वैश्विक सहयोग**: भारतीय विद्वानों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी की बाधाएं समाप्त।
- **लागत कुशलता**: केंद्रीकृत सब्सक्रिप्शन से संस्थानों द्वारा व्यय की पुनरावृत्ति कम।
- **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र**: स्टार्टअप्स, उद्योग R&D और नीति निर्माण को उच्च गुणवत्ता वाले ज्ञान संसाधनों से समर्थन।

चुनौतियाँ और चिंताएँ

- **प्रकाशकों से बातचीत**: अनुकूल शर्तें प्राप्त करने के लिए उच्च सौदेबाज़ी क्षमता आवश्यक
- **हिंसक पत्रिकाओं की दृढ़ता:**: ONOS आसान प्रकाशन के आकर्षण को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता।
- **जागरूकता की कमी**: छोटे कॉलेजों के शोधकर्ताओं को इन संसाधनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

भारत के लिए यह परिचर्चा क्यों महत्वपूर्ण है?

- **शोध पहुंच में समानता**: केवल प्रतिष्ठित संस्थान ही महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन का व्यय वहन कर सकते हैं।
  - छोटे कॉलेज अवैध पहुंच पर निर्भर रहते हैं। ONOS इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है।
- **वित्तीय स्थिरता**: भारतीय शोधकर्ताओं ने 2021 में खुले एक्सेस जर्नल्स में प्रकाशन के लिए ₹380 करोड़ व्यय किए।
  - Sci-Hub ने एक मुफ्त विकल्प प्रदान किया, लेकिन इससे बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की चिंताएँ उत्पन्न हुईं। ONOS एक राज्य-प्रायोजित समाधान प्रस्तुत करता है।

Source: TH

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के परिणाम: शिक्षा, 2025

संदर्भ

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें चरण के अंतर्गत अप्रैल–जून 2025 में किए गए समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS: शिक्षा) से यह प्रकटीकरण हुआ है कि निजी स्कूलों में प्रति बच्चे व्यय सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएँ

- **सरकारी स्कूलों में प्रमुख नामांकन**: कुल नामांकनों में से 55.9% सरकारी स्कूलों में हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है, जहाँ दो-तिहाई (66.0%) छात्र नामांकित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 30.1% है।

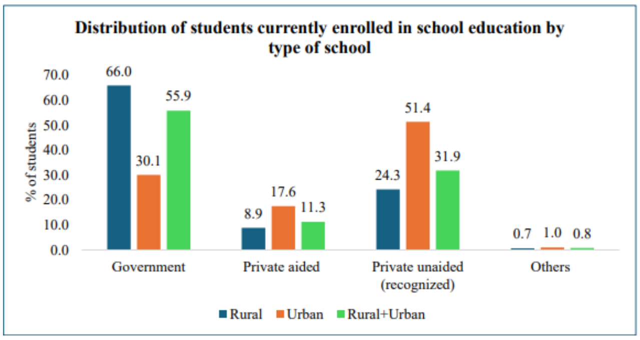

- **प्रति छात्र औसत व्यय**: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूल शिक्षा पर परिवारों द्वारा किया गया औसत व्यय सरकारी स्कूलों में ₹2,863 था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह ₹25,002 था।
- **कोर्स फीस भुगतान**: केवल 26.7% सरकारी स्कूलों के छात्रों ने कोर्स फीस का भुगतान किया, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा 95.7% था।

- **परिवार से वित्तीय सहायता**: भारत में 95% छात्रों ने बताया कि उनकी शिक्षा का प्रमुख स्रोत अन्य घरेलू सदस्य हैं।
- **निजी कोचिंग की प्रवृत्ति**: लगभग एक-तिहाई छात्र (27.0%) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में निजी कोचिंग ले रहे हैं या ले चुके हैं। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों (30.7%) में ग्रामीण क्षेत्रों (25.5%) की तुलना में अधिक है।

इस प्रवृत्ति के कारण

- **ग्रामीण–शहरी अंतर**: ग्रामीण परिवार सामर्थ्य के कारण सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं, जबकि शहरी परिवार प्रायः निजी स्कूलों को प्राथमिकता देते हैं।
- **गुणवत्ता की धारणा**: माता-पिता सामान्यतः बेहतर शिक्षण मानकों, अधोसंरचना और अंग्रेज़ी माध्यम के कारण निजी स्कूलों को पसंद करते हैं।
- **अप्रभावी शिक्षण परिणाम**: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और जवाबदेही की चुनौतियाँ माता-पिता को निजी संस्थानों की ओर प्रेरित करती हैं।
- **शैडो एजुकेशन पर निर्भरता**: कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता कक्षा में प्रभावी शिक्षण की सीमाओं को दर्शाती है।

सरकारी पहल

- **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)**: यह पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक समग्र योजना है।
  - यह योजना तीन पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और शिक्षक शिक्षा (TE) – को समाहित करती है।
- **PM SHRI स्कूल**: आधुनिक अधोसंरचना और शिक्षण पद्धति के साथ 14,500 स्कूलों का विकास आदर्श संस्थानों के रूप में।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009**: 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जिसमें निजी स्कूलों में वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020**: बुनियादी साक्षरता, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल एकीकरण और समान पहुंच पर ध्यान केंद्रित।
- **डिजिटल पहल**: DIKSHA, SWAYAM और PM e-Vidya जैसे प्लेटफॉर्म संसाधन अंतर को पाटने के लिए।

आगे की राह

- **सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार**: आधुनिक अधोसंरचना, डिजिटल शिक्षण उपकरण और सतत शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश कर सार्वजनिक शिक्षा में विश्वास पुनर्स्थापित करना।
- **शिक्षण परिणामों पर ध्यान**: नीति का बल नामांकन संख्या से हटाकर साक्षरता, गणना कौशल और उच्च स्तरीय क्षमताओं में सुधार पर देना।
- **सस्ती निजी भागीदारी**: कम लागत वाले निजी स्कूलों और सार्वजनिक–निजी भागीदारी को गुणवत्ता मानकों के साथ प्रोत्साहित करना।
- **ग्रामीण–शहरी अंतर को पाटना**: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएँ, जिनमें डिजिटल कनेक्टिविटी, योग्य शिक्षक और पर्याप्त अधोसंरचना शामिल हों।
- **अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी**: स्कूल प्रबंधन समितियों और जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ कर बुनियादी स्तर पर सरकारी स्कूलों की स्वामित्व भावना विकसित करना।
- **डेटा-आधारित शासन**: नियमित सर्वेक्षणों को नीति निर्माण में एकीकृत करना ताकि प्रगति की निगरानी और सुधार किया जा सके।

Source: PIB

भारत को 2032 तक भंडारण में 50 अरब डॉलर के नए निवेश की आवश्यकता: रिपोर्ट

संदर्भ

- भारत ने गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता में 50% का आंकड़ा पाँच वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया है।

वर्तमान में आगामी चुनौती है ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) का तीव्र विस्तार, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके, लागत घटाई जा सके और बिजली को सुलभ बनाए रखा जा सके।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) क्या हैं?

- ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ तब ऊर्जा को संग्रहीत करती हैं जब आपूर्ति मांग से अधिक होती है और उसे तब रिलीज़ करती हैं जब मांग चरम पर होती है। ये प्रणाली विद्युत ग्रिड को लचीलापन, विश्वसनीयता और स्थिरता प्रदान करती हैं, विशेष रूप से तब जब सौर एवं पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत अस्थिर होते हैं।

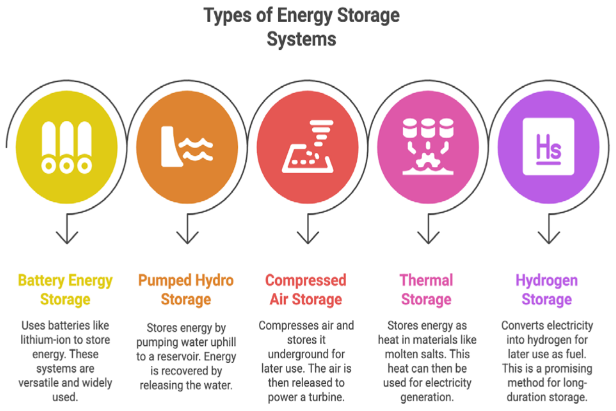

- **भंडारण तैनाती में अग्रणी राज्य:** गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।

भारत के लिए ESS क्यों महत्वपूर्ण है?

- **24x7 नवीकरणीय ऊर्जा (RE):** सौर और पवन ऊर्जा परिवर्तनशील हैं; ESS आपूर्ति एवं मांग के बीच संतुलन बनाता है।
- **पीक लोड प्रबंधन:** बैटरियाँ शाम के समय चरम मांग के दौरान विद्युत प्रदान कर सकती हैं जब सौर उत्पादन घटता है।
- **ग्रिड स्थिरता:** आवृत्ति में उतार-चढ़ाव और ब्लैकआउट के जोखिम को कम करता है।
- **आर्थिक लाभ:** भारत ऊर्जा एवं जलवायु केंद्र (UC बर्कले) और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2025 के एक अध्ययन के अनुसार, बड़े पैमाने पर ESS से 2032 तक उपभोक्ताओं को $7 बिलियन (₹60,000 करोड़) की वार्षिक बचत हो सकती है।
- **अप्रयुक्त परिसंपत्तियों से बचाव:** ESS के माध्यम से कोयला संयंत्रों का सीमित उपयोग संभव है, जिससे अधूरे उपयोग की आशंका कम होती है।
- **जलवायु प्रतिबद्धताएँ:** ESS भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म क्षमता और 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाता है।

ESS तैनाती में चुनौतियाँ

- **उच्च प्रारंभिक लागत:** कीमतें घटने के बावजूद, बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है।
- **नीतिगत अंतराल:** वितरण कंपनियों (Discoms) के लिए स्पष्ट भंडारण दायित्वों की कमी।
- **राजस्व मॉडल:** "रेवेन्यू स्टैकिंग" (बैटरियों के बहु-उपयोग से आय अर्जन) के लिए स्पष्ट नियमों की कमी।
    - *रेवेन्यू स्टैकिंग* का अर्थ है एक ही बैटरी प्रणाली से एक साथ कई तरीकों से आय अर्जित करना।
- **घरेलू निर्माण:** लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता।
- **अप्रयुक्त कोयला परिसंपत्तियाँ:** 2032 तक 50–70 GW तापीय क्षमता 30% PLF से कम पर चल सकती है।

नीतिगत समर्थन एवं सरकारी पहल

- **उन्नत रसायन कोशिकाओं (ACC) के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना**
- **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF):** प्रारंभिक भंडारण परियोजनाओं को समर्थन देने हेतु।
- **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM):** दीर्घकालिक भंडारण के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग।
- **बैटरी रीसाइक्लिंग नियम:** सर्कुलर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने और आयात निर्भरता घटाने हेतु।
- **महत्वपूर्ण खनिज नीति:** लिथियम, कोबाल्ट, निकल की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना
- **राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) का मसौदा:** नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए ESS को प्रमुख तत्व के रूप में चिन्हित करता है

निष्कर्ष

- भारत का ऊर्जा भविष्य ऊर्जा भंडारण के तीव्र विस्तार पर निर्भर करता है, जिसे सुदृढ़ नीति, निवेश और तकनीक का समर्थन प्राप्त हो।
- यह परिवर्तन सतत , विश्वसनीय एवं सुलभ स्वच्छ ऊर्जा को संभव बनाएगा—और भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करेगा।

Source: DTE

केंद्र द्वारा कार्बन बाज़ारों को गति देने के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण को अंतिम रूप

संदर्भ

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था को सक्षम करने के लिए एक 'राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA)' की घोषणा की है।

परिचय

- यह 2015 के पेरिस समझौते के प्रावधानों के अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
  - पेरिस समझौते के अंदर , अनुच्छेद 6 वह खाका प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत ऐसी उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था या बाज़ार का गठन किया जा सकता है।
- **संरचना**: पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति।
  - इसमें विदेश मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।
- **NDA के कार्य**
  - केंद्र सरकार को उन गतिविधियों की सूची की सिफारिश करना जिन्हें परियोजनाओं से उत्सर्जन कटौती इकाइयों के व्यापार के लिए माना जा सकता है।
  - समय-समय पर उन्हें राष्ट्रीय सतत लक्ष्यों, देश-विशिष्ट मानदंडों और अन्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार संशोधित करना।
  - परियोजनाओं या गतिविधियों को मूल्यांकन, अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए प्राप्त करना।
  - परियोजनाओं से उत्सर्जन कटौती इकाइयों के उपयोग को राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC) की प्राप्ति हेतु अधिकृत करना।

राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDC)

- NDC उन प्रतिबद्धताओं को दर्शाता है जिनके अंतर्गत देश अपने ऊर्जा उपभोग को नवीकरणीय स्रोतों की ओर मोड़ते हुए उत्सर्जन को कम करने और वातावरण में कार्बन की मात्रा को घटाने के लिए कार्रवाई करते हैं।
- भारत का NDC लक्ष्य है:
  - 2030 तक 2005 के स्तर की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
  - 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50% संचयी विद्युत क्षमता प्राप्त करना।
  - वनीकरण के माध्यम से 2030 तक 2.5–3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।

कार्बन बाज़ार

- कार्बन बाज़ार ऐसे व्यापारिक तंत्र हैं जिनमें कार्बन क्रेडिट का क्रय और विक्रय किया जाता है।
- कंपनियाँ या व्यक्ति अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की भरपाई के लिए उन संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट क्रय कर सकते हैं जो उत्सर्जन को घटाते या हटाते हैं।
- एक व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट का अर्थ है एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या समतुल्य मात्रा की किसी अन्य ग्रीनहाउस गैस का घटाया जाना, संग्रहित किया जाना या टाला जाना।
- जब किसी क्रेडिट का उपयोग उत्सर्जन को घटाने, संग्रहित करने या टालने के लिए किया जाता है, तो वह ऑफसेट बन जाता है और अब व्यापार योग्य नहीं रहता।
- कार्बन बाज़ार दो प्रकार के होते हैं:
  - **अनुपालन बाज़ार**: किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय नीति या नियामक आवश्यकता के परिणामस्वरूप बनाए जाते हैं।

- **स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार**: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट का स्वैच्छिक रूप से जारी करना, क्रय और विक्रय।

वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण पर भारत की स्थिति

- भारत 2024 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) को अपनाकर दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) की ओर बढ़ रहा है।
  - दर-आधारित ETS वह प्रणाली है जिसमें कुल उत्सर्जन की सीमा तय नहीं होती, बल्कि प्रत्येक इकाई को एक प्रदर्शन मानदंड दिया जाता है जो उनके शुद्ध उत्सर्जन की सीमा तय करता है।
- राष्ट्रीय ETS प्रारंभ में नौ ऊर्जा-गहन औद्योगिक क्षेत्रों को कवर करेगा।
- यह योजना उत्सर्जन तीव्रता पर केंद्रित है, न कि पूर्ण उत्सर्जन सीमा पर।
- जो इकाइयाँ मानक उत्सर्जन तीव्रता से बेहतर प्रदर्शन करेंगी उन्हें क्रेडिट प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

Country	ETS Type	Coverage Sectors	Operational Status
India	Rate-based	9 industrial sectors	Regulatory stage
China	Rate-based	Power, cement, steel, aluminum	Operational
Brazil	Cap-based	All sectors except agriculture	Law passed in Dec 2024
Indonesia	Rate-based	Sectors expanded in 2024 to include Grid-connected coal/gas power plants	Operational

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS)

- इसमें दो प्रमुख तत्व शामिल हैं:
  - **अनुपालन तंत्र**: बाध्य इकाइयों (मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों) के लिए।
  - **ऑफसेट तंत्र**: स्वैच्छिक भागीदारी के लिए।
- CCTS का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज़ करने के प्रयासों में इकाइयों को प्रोत्साहित और समर्थन देना है।
- इस योजना ने संस्थागत ढांचे की स्थापना कर भारतीय कार्बन बाज़ार (ICM) की नींव रखी।

कार्बन बाज़ार की तैयारी को मजबूत करने के लिए सरकारी कदम

- COP 27 के दौरान यह रेखांकित किया गया कि भारत सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों के अंतर्गत अपने विकासात्मक आवश्यकताओं और कम उत्सर्जन के बीच संतुलन बनाता है।
- भारत के प्रयासों में शामिल हैं:
  - **Mission LiFE** और **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम**: सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए।
  - **भारतीय कार्बन बाज़ार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM)** और **ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE)** का गठन।
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

- जैसे-जैसे वैश्विक बाज़ार विकसित हो रहे हैं और CBAM जैसे उपकरण बाहरी दबाव बना रहे हैं, भारत अपनी नीतियों को प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समायोजित कर रहा है।
- पूर्ण उत्सर्जन सीमा की बजाय उत्सर्जन तीव्रता पर ध्यान केंद्रित कर भारत की दर-आधारित ETS प्रणाली विकास और डीकार्बोनाइज़ेशन के संतुलन के लिए एक व्यावहारिक और लचीला मार्ग प्रस्तुत करती है।

Source: TH

NEXT IAS

संक्षिप्त समाचार

सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए समितियां

संदर्भ

- भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–2025), बिरसा मुंडा (1875–2025) की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2024) की जन्म शताब्दी के समारोहों की निगरानी के लिए तीन अलग-अलग उच्च स्तरीय समितियाँ गठित की हैं।
  - समिति का कार्य देशभर में स्मरण समारोहों की योजनाओं, कार्यक्रमों को स्वीकृति देना, उनकी निगरानी करना और मार्गदर्शन करना है।

सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–1950) के बारे में

- वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था।
  - उनकी जयंती को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - उन्होंने भारत के 565 रियासतों को बहुत ही कम समय में भारतीय संघ में एकीकृत करने का कार्य पूरा किया।
  - वल्लभभाई पटेल को भारत का "लौह पुरुष" भी कहा जाता है।
  - प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जो 1947 में उस दिन के स्मरण में है जब सरदार पटेल ने मेटकाफ हाउस, नई दिल्ली में सिविल सेवकों के प्रथम बैच को संबोधित किया था।
  - बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि दी गई थी।
  - उन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

बिरसा मुंडा (1875–1900) के बारे में

- बिरसा मुंडा एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक थे, जो मुंडा समुदाय से थे (छोटानागपुर पठार, झारखंड)।
  - उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजातीय आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे 1899 का उलगुलान (क्रांति), जो न केवल ब्रिटिश दमन को चुनौती देने में महत्वपूर्ण थे बल्कि राष्ट्रीय जागृति को भी प्रेरित किया।
  - 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **अटल बिहारी वाजपेयी (1924–2024) के बारे में**
- अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि, लेखक और राजनेता थे, जिन्होंने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी।
  - उनकी जयंती को मनाने के लिए 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  - प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण-II परमाणु परीक्षण किए।
  - उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

Source: AIR

निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र

समाचार में

- रूसी सेना ने निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र के गाँवों पर नियन्त्रण पा लिया है।

निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र

- यह दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में स्थित है और एक प्रमुख औद्योगिक एवं रसद केंद्र है।
- इसकी सीमा ज़ापोरिज्जिया और डोनेट्स्क जैसे संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों से लगती है।
- यह उन पाँच यूक्रेनी क्षेत्रों में शामिल नहीं है जिन पर रूस ने आधिकारिक तौर पर नियन्त्रण करने का दावा किया है (डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन, ज़ापोरिज्जिया, क्रीमिया)।

महत्व

- यह यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक केंद्र है और इस क्षेत्र में रूस की गहरी प्रगति कीव की संघर्षरत सेना एवं अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है।

Source: TH

प्रोजेक्ट आरोहण

संदर्भ

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल प्लाज़ा कर्मचारियों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 'आरोहण परियोजना' शुरू की है।

परिचय

- इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना है।
- इसमें कक्षा 11 से स्नातक के अंतिम वर्ष तक के पाँच सौ छात्र शामिल होंगे।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रत्येक छात्र को 12 हज़ार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त, स्नातकोत्तर और उच्च शिक्षा के इच्छुक पचास मेधावी छात्रों को 50-50 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

Source: AIR

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में

- यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य भारत की भूमि सीमाओं पर स्थित दूरस्थ और रणनीतिक गाँवों का समग्र विकास करना है।
- प्रारंभिक चरण (वीवीपी-I) में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के उत्तरी सीमावर्ती जिलों के 662 गाँव शामिल हैं।
- नवीनतम चरण (वीवीपी-II), जिसे 2025 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया जाएगा, पूर्वोत्तर, उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमांत क्षेत्रों सहित 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित चुनिंदा गाँवों तक कवरेज का विस्तार करता है।
- यह स्थानीय विरासत को संरक्षित करते हुए और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए पर्यटन, कौशल विकास, उद्यमिता, कृषि एवं औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करेगा।

Source: PIB

नेशनल वन हेल्थ मिशन के लिए वैज्ञानिक संचालन समिति

संदर्भ

- वन हेल्थ मिशन पर वैज्ञानिक स्टीयरिंग समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई।
  - यह मिशन "वन हेल्थ" दृष्टिकोण को अपनाता है – जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की पारस्परिकता को मान्यता देता है।

राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (NOHM) के बारे में

- **शुरुआत:** प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) द्वारा 2022 में एक अंतर-मंत्रालयी प्रयास के रूप में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई।
- **उद्देश्य:** जूनोटिक रोगों, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR), और उभरते स्वास्थ्य खतरों की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत ढांचा विकसित करना।
- **दृष्टिकोण:** स्वास्थ्य, पशुपालन, कृषि, पर्यावरण आदि मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच समन्वयात्मक सहयोग।
- **मुख्य क्षेत्र:**
  - जूनोटिक रोग (जैसे: निपाह, एवियन इन्फ्लुएंजा, COVID-19 की उत्पत्ति)।
  - खाद्य सुरक्षा और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध।
  - जलवायु परिवर्तन और रोगों के प्रसार पर उसका प्रभाव।
  - प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण और डेटा एकीकरण प्लेटफॉर्म का विकास।

NEXT IAS

Stakeholders of the One Health Mission

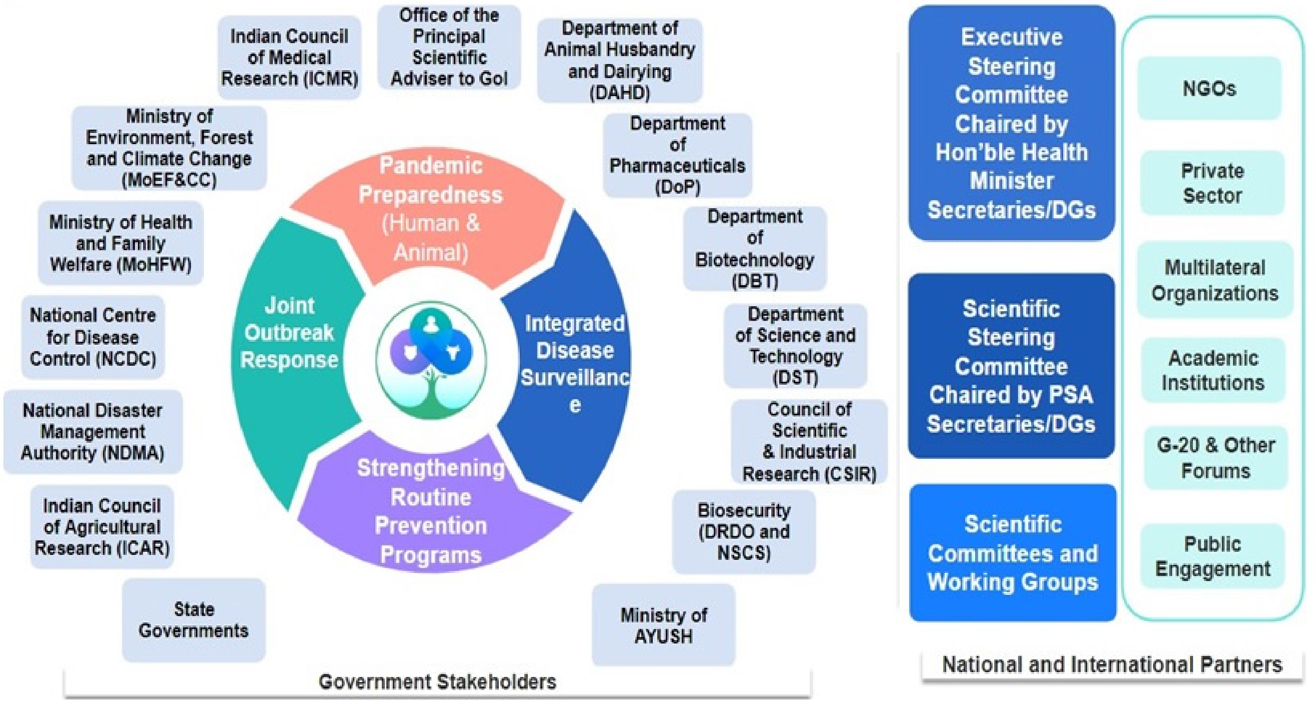

Source: PIB

कुट्टियाडी नारियल

संदर्भ

- केरल का कुट्टियाडी नारियल भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

कुट्टियाडी नारियल के बारे में

- कुट्टियाडी नारियल मुख्य रूप से केरल के कोझिकोड जिले के कुट्टियाडी क्षेत्र में उगाया जाता है।
- यह एक उच्च उपज देने वाली किस्म मानी जाती है, जो रोपण के पांच वर्षों के अंदर फल देना शुरू कर देती है।
- इस पेड़ का तना अन्य नारियल किस्मों की तुलना में अधिक सुदृढ़ होता है और यह अधिकांश कीटों और सूखे का प्रतिरोध करता है।
- इस पेड़ की आयु 100 वर्षों से अधिक होती है।
- इसका फल आकार में बड़ा और भारी होता है, जबकि गिरी अन्य किस्मों की तुलना में मोटी होती है, जिससे इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है।

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग क्या है?

- GI टैग एक ऐसा चिन्ह है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनका विशिष्ट भौगोलिक स्रोत होता है और जिनमें उस क्षेत्र से जुड़ी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषताएँ होती हैं।
- **GI पंजीकरण:**
  - वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा शासित।
  - कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा एवं स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं पर लागू।
  - वैधता: 10 वर्ष, 10 वर्षों के ब्लॉक में नवीकरणीय।
- **GI टैग के लाभ:**
  - भारत में उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और पंजीकृत GI का अनधिकृत उपयोग रोकता है।
  - उस भौगोलिक क्षेत्र के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।
  - GI टैग प्राप्त उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

Source: TH

सुदर्शन चक्र मिशन

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "मिशन सुदर्शन चक्र" के शुभारंभ की घोषणा की।

सुदर्शन चक्र मिशन

- यह एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना है।
- यह पूरी तरह से स्वदेशी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।
- यह भगवान कृष्ण द्वारा सूर्य को ढँकने की पौराणिक कथा से प्रेरित है।
- यह उन्नत निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा उपायों सहित एक बहुस्तरीय सुरक्षा ढाँचा लागू करेगा।

महत्व

- यह पहल साइबर युद्ध और हाइब्रिड हमलों जैसे बढ़ते वैश्विक खतरों का जवाब देती है, जो भारत के भविष्य के लिए सक्रिय, आत्मनिर्भर सुरक्षा योजना की ओर परिवर्तन का संकेत देती है।
- इसका उद्देश्य शत्रु की रक्षा घुसपैठ को निष्प्रभावी करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है।

Source :PIB

छोटे सोने के कणों से पार्किंसंस रोग का शीघ्र पता लगाना

संदर्भ

- नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST), मोहाली के शोधकर्ताओं ने एक नैनोप्रौद्योगिकी-आधारित बायोसेंसर विकसित किया है, जो पार्किंसन रोग (PD) का पता लक्षण प्रकट होने से पहले ही लगा सकता है।

पार्किंसन रोग क्या है?

- पार्किंसन रोग (PD) एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव विकार है, जो गति और मोटर नियंत्रण को प्रभावित करता है।
- यह मस्तिष्क में डोपामिन उत्पन्न करने वाले न्यूरॉनों के हानि के कारण होता है।
- यह रोग α-सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन के असामान्य रूप से मुड़ने और एकत्रित होने से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क में विषैले गुच्छों का निर्माण करता है तथा न्यूरॉनों को हानि पहुँचाता है।
- इसके लक्षणों में कंपन, कठोरता, गति की धीमापन और संतुलन की अस्थिरता शामिल हैं।

यह कैसे कार्य करता है?

- वैज्ञानिकों ने गोल्ड नैनोक्लस्टर्स (AuNCs) विकसित किए हैं, जो कुछ नैनोमीटर चौड़ाई वाले अति सूक्ष्म चमकदार कण होते हैं।
  - इन नैनोक्लस्टर्स को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड से कोट किया गया है ताकि उन्हें चयनात्मक बाइंडिंग की क्षमता प्राप्त हो सके।
- प्रोलाइन-कोटेड क्लस्टर्स सामान्य (मोनोमेरिक) α-सिन्यूक्लिन प्रोटीन से जुड़ते हैं, जो हानिरहित होता है।
- हिस्टिडीन-कोटेड क्लस्टर्स विषैले एकत्रित (एमिलॉइड) रूप के α-सिन्यूक्लिन से जुड़ते हैं, जो पार्किंसन रोग का कारण बनता है।
- यह चयनात्मक इंटरैक्शन सेंसर को स्वस्थ और हानिकारक प्रोटीन अवस्थाओं के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है, जिससे लक्षण प्रकट होने से पहले ही पार्किंसन रोग का पता लगाया जा सकता है।

Source: PIB

ऑपरेशन रेनबो

संदर्भ

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने हाल ही में ऑपरेशन रेनबो के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 9 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)

- DRI की स्थापना दिसंबर 1957 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में खुफिया जानकारी एकत्र करना और तस्करी गतिविधियों का सामना करना था।

NEXT IAS

- शुरुआत में इसका ध्यान सोने की तस्करी पर केंद्रित था, लेकिन अब इसका कार्यक्षेत्र आर्थिक और मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है।
- यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अधीन कार्य करता है।
- **मुख्यालय:** DRI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका नेतृत्व एक महानिदेशक करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय संपर्क:** यह एजेंसी अंतरराष्ट्रीय तस्करी से निपटने के लिए विदेशी देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे INTERPOL से संपर्क बनाए रखती है।

मादक द्रव्य और मनोप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

- यह अधिनियम मादक द्रव्यों और मनोप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, स्वामित्व, परिवहन और सेवन को प्रतिबंधित करता है, सिवाय चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए।
- **कार्य क्षेत्र:**
  - खेती से लेकर वितरण तक की गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
  - मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के प्रावधान।
  - **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** इस अधिनियम के अंतर्गत 1986 में NCB की स्थापना की गई, ताकि केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच प्रवर्तन गतिविधियों का समन्वय किया जा सके।

Source: PIB

आरोग्यपच

समाचार

- केरल की अगस्त्य पहाड़ियों में रहने वाली कानी जनजाति की सदस्य कुट्टीमथन कानी, जिन्होंने शोधकर्ताओं को सर्वप्रथम औषधीय पौधे आरोग्यपच के बारे में बताया था, का निधन हो गया है।

आरोग्यपच के बारे में

- आरोग्यपच (ट्राइकोपस ज़ेलेनिकस), जिसे प्रायः "केरल जिनसेंग" कहा जाता है, एक दुर्लभ औषधीय जड़ी-बूटी है जो भारत के पश्चिमी घाटों, विशेषकर केरल की अगस्त्य पहाड़ियों में पाई जाती है।
- कानी जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से तत्काल ऊर्जा के लिए, विशेषकर कठिन गतिविधियों के दौरान, इसके फलों का सेवन करती थीं।
  - उनका मानना था कि यह लोगों को युवा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है।
- अध्ययनों से इसके औषधीय लाभों पर प्रकाश पड़ता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, थकान-रोधी, कामोद्दीपक, मधुमेह-रोधी, अल्सर-रोधी, रोगाणुरोधी, सूजन-रोधी, प्रतिरक्षा-नियंत्रक, हृदय-सुरक्षात्मक और यकृत-सुरक्षात्मक गतिविधियाँ।

Source: DTE

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म

संदर्भ

- स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम बार मांस खाने वाले परजीवी "न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म" के मानव मामले की पुष्टि की है।

न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म क्या है?

- स्क्रूवर्म (Cochliomyia hominivorax) एक प्रकार की नीले-ग्रे रंग की ब्लोफ्लाई होती है, जो सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में पाई जाती है।
- स्क्रूवर्म की मादा मक्खियाँ गर्म रक्त वाले जानवरों और कभी-कभी मनुष्यों के खुले घावों या नाक जैसी प्रविष्टि स्थलों पर अंडे देती हैं।
- ये अंडे लार्वा (मैगट्स) में परिवर्तित हो जाते हैं, जो घाव में घुसकर जीवित मांस को खाते हैं, जिससे संक्रमण फैलता है।
- भोजन करने के पश्चात, ये लार्वा भूमि पर गिरते हैं, मृदा में घुसते हैं और वयस्क स्क्रूवर्म मक्खी के रूप में बाहर आते हैं।

मायासिस का कारण

- जब इसके लार्वा (मैगट्स) जीवित ऊतकों में संक्रमण फैलाते हैं, तो इसे मायासिस कहा जाता है।
- न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म का संक्रमण विशेष रूप से मनुष्यों में अत्यंत पीड़ादायक होता है और यदि इसका उपचार न किया जाए तो मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है।

Source: IE

NEXT IAS